प्रेस विज्ञप्ति

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

**10** अगस्त **2017**

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन "रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वतंत्र विद्युत् उत्पादकों को ऋण" आज संसद में प्रस्तुत

विद्युत अधिनियम, 2003 के गठन के साथ विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी बढ़ गई। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) और पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने भी ऋणदाताओं के रूप में इन परियोजनाओं में भाग लिया। 2013-14 से 2015-16 के दौरान, आरईसी तथा पीएफसी ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज़) को ₹47706.88 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए। दोनों कंपनियों में, आईपीपी ऋणों से सम्बंधित अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीएज़) 31 मार्च 2016को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान बहुत अधिक बढ़ गईं।2015-16 की समाप्ति पर, आरईसी तथा पीएफसी की लेखा बहियों में आईपीपी ऋणों हेतु ₹11762.61 करोड़के कुल एनपीएज़ चिन्हित किए गए थे, जिसमें से ₹10360.39करोड़(*86 प्रतिशत*) 31 मार्च 2016को समाप्त तीन वर्षों के दौरान चिन्हित किए गए एनपीएज़ थे। यह देखते हुए कि इसी अवधि (2013-14से 2015-16) के दौरान आरईसी तथा पीएफसी ने आईपीपीज़ को ₹47706.88 करोड़ संवितरित किए थे, एनपीए राशि 2013-14से 2015-16 के दौरान संवितरित राशि का महत्वपूर्ण 21.72 *प्रतिशत* बनता है।

इस सन्दर्भ में, लेखा परीक्षा ने 2013-14से 2015-16 के दौरान आईपीपीज़ को ऋणों के मूल्यांकन, संस्वीकृति तथा संवितरण के लिए आरईसी तथा पीएफसी द्वारा अपनाई गयीं क्रियाविधियों की समीक्षा की।प्रतिवेदन आज संसद के पटल पर रखा गया।

## 2. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- आरईसी और पीएफसी ने ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन के समय उच्चतर टैरिफ का अनुमान लगाया जिसके कारण छः मामलो में ₹8662 करोड़ मूल्य के ऋण संस्वीकृत हुए जहाँ स्तरीकृत उत्पादन लागत वास्तविक स्तरीकृत टैरिफ से अधिक थी जिससे आरंभ से ही परियोजना की व्यवहार्यता संदेहास्पद हो गयी।
- परियोजना विकासकों का अनुभव व्यक्तिगत विवेक के आधार पर आकलन किया गया और वे विकासक जिन्हें संगत क्षेत्र में अनुभव नहीं था, को ऋणों हेतु पात्र माना गया। ऐसी कई परियोजनाएँ समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की जा सकीं।
- नौ परियोजनाओं को कई बार पुनर्संरचित करना पड़ा जिससे छः ऋण मामलो में निर्माण के दौरान ब्याज में ₹13312.78 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और तीन ऋण मामलों में ₹3038.44 करोड़ एनपीए हुए। इन मामलों में विकासकों की वित्तीय क्षमता का उचित आकलन नहीं किया गया था और प्रतिस्पर्धी मांगों के समक्ष परियोजना के लिए इक्विटी लाने में विकासक असफल रहे।
- सात ऋण मामलों में, ठेकेदार व विकासक एक ही/ संबध्द इकाईयाँ थे। आरईसी व पीएफसी द्वारा विकासक को परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिया गया ऋण विकासक ग्रुप के पास रहा और इस प्रकार, परियोजना के क्रियान्वयन में विकासक के वास्तविक हित का आकलन करना कठिन था। ठेकेदारों की ऋण अर्हता और ठेके सम्बंधि उनके दायित्वों को पूर्ण करने की उनकी योग्यता आरईसी व पीएफसी द्वारा आकलित नहीं की जा रही थी।
- आरईसी और पीएफसी देनदारों द्वारा ऋणों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सकीं।लेखापरीक्षा ने पांच मामलों में देनदारों/विकासकों द्वारा ₹2457.60 करोड़ का विपथन देखा। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के विशिष्ट दिशानिर्देशों (जुलाई 2013) द्वारा वित्तपोषण अभिकर्ताओं को अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अपने आंतरिक नियंत्रणों और ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के परामर्श के बावजूद, दोनों कंपनियाँ

निधियों के पूर्ण उपयोग के संबंध में एकमात्र लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र पर ही निर्भर थीं।

- आरईसी तथा पीएफसी द्वारा समय-समय पर संवितरण पूर्व शर्तों में छूट दी गई थी। प्रथम संवितरण के बाद, अनुवर्ती संवितरण अधिकांशतः पहले ही वितरित की जा चुकी निधियों को बचाने के लिए किए गए थे, जिससे शर्तों में और अधिक ढील दी गई और समय सीमा बढ़ाई गई।
- तीन परियोजनाओं को ऋणों के संवितरण के दौरान आरईसी ने अनुमोदित राशिसे अधिक₹496.02 करोड़की राशि निर्माण के दौरान ब्याज़ (आईडीसी)के प्रतिसमायोजित की। इन समायोजनों के साथ, ऋण लेखा 'मानक'सुनिश्चित रहा जबकिदेनदार द्वारा ऋण पुर्नअदायगी समय सीमा के अनुसार कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था। इन समायोजनों के बिना, ये ऋण खाते 2013 में ही एनपीए हो गए होते। लेखापरीक्षा ने परियोजना शुरू करने के बाद आईडीसी समायोजन किया जाना भी पाया जिससे आरईसी के आंतरिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।
- आरईसी व पीएफसी ने अपने आतंरिक विवेकपूर्ण मानकों, जिनमें यह विहित किया गया है कि ऋण की पुनर्संरचना के समय विकासकों/देनदारों को किसी अन्य वित्तीय संस्था (आरईसी व पीएफसी सहित) के वर्तमान ऋणों के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रमी नहीं होना चाहिए और प्रमुख विकासक के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणियों में हानि/नकद हानि/उपचित हानि नहीं होनी चाहिए, में ढ़ील देते हुए कई मामलों में लागत आधिक्य की पूर्ति हेतु अतिरिक्त ऋण संस्वीकृत किए।

## 3. लेखापरीक्षा सिफारिशें

3.1 ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन, उनकी संस्वीकृति और संवितरण की प्रक्रिया सुदृढ़ की जाए। वर्तमान मूल्यांकन मानकों पर विकासकों की वित्तीय व तकनीकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए वस्तुपरक दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु पुनः विचार किया जाना चाहिए।

3.2 ऋण मूल्यांकन, संस्वीकृति और संवितरण के प्रत्येक चरण पर आंतरिक दिशानिर्देशों और आरबीआई मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3.3 निगरानी तंत्र को यह सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ किया जाना चाहिए कि संवितरित ऋण उसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए गए हैं जिसके

लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं और निधियों के गबन/विपथन की घटनाएँ समाप्त की गई हैं।

3.4 उन मामलों में विशेष रूप से सतर्कता बरतने की आवश्यकता है जहाँ विकासक या उसकी ग्रुप कंपनियाँ प्रधान ठेकेदार के रूप में परियोजना का निष्पादन करते हो।ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि अधिमूल्यन नहीं किया गया हो और ठेकेदारों को दिया गया धन परियोजना के निष्पादन में वास्तव में लगाया गया है और इसे परियोजना इक्विटी के रूप में पुनः नहीं दर्शाया गया हो।

3.5 विकासकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु उसके स्वतंत्र सत्यापन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। विकासक/देनदार की वित्तीय क्षमता का वास्तविक मूल्यांकन करने हेतु स्वतंत्र क्रेडिट वर्गीकरण अभिकर्ताओं से उपलब्ध जानकारी पर भी विचार किया जाना चाहिए।

3.6 परियोजनाओं की व्यवहार्यता की तुलना में उनके लागत आधिक्य की कड़ाई से निगरानी करने की आवश्यकता है। लागत आधिक्य संगत आंतरिक दिशानिर्देशों/आरबीआई मानकों के अनुपालन में केवल पात्र परियोजनाओं में ही अनुमत किए जाने चाहिए।